



534

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मोप्र०, खालियर

प्रकरण क्रमांक

1/2018 निगरानी - 4840 | विदिशा । श्रृंखला

प्रमाण पत्र
निगरानी
8.8.18
17.8.18

राजस्व मण्डल
निगरानी
8.8.18

अशफाक उद्दीन पुत्र श्री अमीन उद्दीन
आयु- 60 वर्ष जाति- मुस्लिम निवासी-
ग्राम सीहोरा तहसील कुरवाई जिला
विदिशा हाल निवासी- मकान नं० ९,
अशोका कॉलोनी, ओल्ड लैक व्यू होटल
के बगल में, नूर महल, भोपाल, मोप्र०

—निगरानीकर्ता/रिस्पोन्डेन्ट

बनाम

सुशील कुमार पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल
आयु- 44 वर्ष, निवासी- शिव मंदिर
सीहोरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा
हाल निवासी- बेलविडेरी एवेन्यु सनवुड
एन-जे, अमेरिका (यू०एस०ए०)

—प्रतिनिगरानीकर्ता/अपीलार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व संहिता
1959 सहपठित मोप्र० राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड
4(3) की कण्ठिका 30 विरुद्ध आदेश दिनांकी
05/04/2018 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
कुरवाई जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/16-17
अपील व उनवान सुशील कुमार बनाम अशफाक उद्दीन ।

माननीय महोदय,

(3)

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, निगरानीकर्ता/रिस्पोन्डेन्ट के विरुद्ध माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4840/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभात सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">म प्रशासकीय सदस्य</p> 	